नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड
(वाणिज्य विभाग)

कार्यालय आदेश– Com/Resolution -84/13 191 दिनांक 19/6/13

विषय :–	एनबीपीडीसीएल, पटना के डेलिगेशन ऑफ पावर के कंडिका–49 के विद्युत भार स्वीकृत करने सम्बन्धी पदाधिकारियों के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करने के सम्बन्ध में।

Subject:-Amendment to Existing Provisions Under Clause-49 of Delegation of Powers of the Company for Sanction of Electrical Loads by the Officers Concerned.

एनबीपीडीसीएल की कंडिका–49 के तहत 33 केवी तथा उससे अधिक विभव के विद्युत भार को स्वीकृत करने का अधिकार महाप्रबन्धक–सह– मुख्य अभियन्ता में निहित किया गया था। एनबीपीडीसीएल ने विभिन्न विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों में पदस्थापित अपने महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ताओं को क्षेत्रीय कार्यालयों से हटाकर कंपनी के मुख्यालय में पदस्थापित कर दिया है। ऐसी स्थिति में डेलीगेशन ऑफ पावर के अधीन किए गए प्रावधानों के अनुरूप 33केवी तथा उससे अधिक विभव के विद्युत भार को स्वीकृत करने में कठिनाई होगी तथा अनावश्यक रूप से विलंब के साथ –साथ राजस्व की क्षति भी होगी।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–43, स्टैण्ड ऑफ परफेरमेन्स के तत्तसंबंधी प्रावधान एवं अन्य सभी प्रभावी विधिक अथवा संहितीय प्रावधानों के समग्र समेकित एवं सम्यक अनुपालन हेतु एनबीपीड़ीसीएल के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न श्रेणी / कोटि के विद्युत भार को स्वीकृत करने सम्बन्धी डेलीगेशन ऑफ पावर के कंडिका–49 में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

Sl. No.	Nature of Power	Delegation		Remarks
49	भार स्वीकृति की शक्ति।	कनीय विद्युत अभियन्ता (विद्युत आपूर्ति प्रशाखा)	सभी सिंगल फेज निम्न विभव के विद्युत भार के लिए	समय –समय पर निर्धारित नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन
		सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल	सभी थ्री फेज निम्न विभव के विद्युत भार के लिए	
		विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आंपूर्ति प्रमण्डल	सभी 11 केवी उच्च विभव विद्युत भार के लिए	
		विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति अंचल	33 केवी या उससे अधिक भार पर	

यह आदेश अविलम्ब प्रभावी होगा। इस पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)